राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2335/2022

1. पूरण प्रकाश बैरवा पुत्र श्री बाबू लाल, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम कुटी, स्यालावा, वार्ड संख्या 9, बांदीकुई जिला, दौसा, वर्तमान में टेक्नीशियन-I, ग्रेड पे 2800/- ग्रुप-सी, लोको शेड, एन.डब्ल्यू.आर. फुलेरा में कार्यरत

2. अशोक कुमार पुत्र श्री सुंदर सिंह, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी रेलवे क्वार्टर संख्या 404, ए, बी रेलवे ए.ई.एन. कॉलोनी, फुलेरा जिला, जयपुर, वर्तमान में टेक्नीशियन-I, ग्रेड पे 2800/- ग्रुप-सी, लोको शेड, एन.डब्ल्यू.आर. फुलेरा में कार्यरत

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, जवाहर सर्किल, जगतपुरा, जयपुर 302017 के माध्यम से।

2. मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, पावर हाउस रोड, जयपुर (राज.) 302006।

----प्रतिवादी

<u>से संबंधित</u>

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2823/2022

1. अश्विनी कुमार बाली पुत्र श्री सुदर्शन, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी नैना बाग, मकान संख्या 40, बाली भवन, अजमेर, वर्तमान में टेक्नीशियन-I, ग्रेड पे 2800/-, ग्रुप सी, लॉक ट्रबल शूटिंग लोको लॉबी, एन.डब्ल्यू.आर. जयपुर में कार्यरत

2. सुरेश चंद्र जांगिड़ पुत्र श्री बालूराम जांगिड़, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, पोस्ट गडोता, वाया बगरू, जयपुर, वर्तमान में टेक्नीशियन-I, ग्रेड पे 2800/-, ग्रुप सी, लॉक शेड, एन.डब्ल्यू.आर. फुलेरा में कार्यरत

(29/05/2025 को 01:03:20 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, जवाहर सर्किल, जगतपुरा, जयपुर - 302017 के माध्यम से।

2. मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, पावर हाउस रोड, जयपुर (राज.) 302006।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री वीरेंद्र लोढ़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अंकित राठौड़ के साथ
प्रतिवादी के लिए	:	श्री दिव्येश माहेश्वरी, श्री युवराज मित्तल के साथ श्री पराग रस्तोगी

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति श्री उमा शंकर व्यास

आदेश सुरक्षित रखा गया : **04/11/2024**

आदेश सुनाया गया : **07/11/2024**

अवनीश झिंगन, जे:

1. इन दोनों याचिकाओं का निर्णय इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि इसमें शामिल तथ्य और मुद्दे समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2335/2022 से लिए जा रहे हैं।

2. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 06.08.2021 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. विवाद यह है कि याचिकाकर्ताओं ने गुड्स गार्ड के पद पर समावेशन का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें समान वेतनमान वाले टेक्नीशियन-I के पद पर समाविष्ट किया गया।

(29/05/2025 को 01:03:20 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

4. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता फुलेरा में डीजल शेड में कार्यरत थे। डीजल शेड बंद होने पर, कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किया गया और समावेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। याचिकाकर्ताओं से तीन विकल्प भरने के लिए कहा गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने केवल गुड्स गार्ड की रिक्तियों के विरुद्ध समावेशन के लिए आवेदन किया। टेक्नीशियन-I के पद पर मास्टर सर्कुलर संख्या 22 (अनुलग्नक-ए/18) के उल्लंघन में नियुक्ति के संबंध में शिकायत उठाते हुए अधिकरण के समक्ष दायर मूल आवेदन खारिज कर दिया गया।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सर्कुलर के खंड 8 के अनुसार, अधिशेष कर्मचारियों को रिक्तियों को भरने के लिए आकस्मिक श्रमिक और सीधी भर्ती पर प्राथमिकता मिलती है। तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल गुड्स गार्ड के रूप में समावेशन के लिए आवेदन किया था, तकनीकी पद पर समावेशन भरे गए विकल्प के विरुद्ध था।

6. इसके विपरीत, समावेशन के लिए विकल्प दिनांक 21.07.2020 को आमंत्रित किए गए थे और उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि विकल्पों को भरने से प्रतिवादियों को उन्हीं पदों पर समावेशन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को समाविष्ट किया जाना था और जिन्होंने सभी तीनों विकल्प नहीं भरे थे, उन्हें दिनांक 13.08.2020 के संचार के माध्यम से शेष विकल्प भरने का एक और अवसर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहे। यह भी तर्क दिया गया है कि किसी भी अधिशेष कर्मचारी को गुड्स गार्ड के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और नियुक्तियां प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार की गई थीं।

7. आगे बढ़ने से पहले, मास्टर सर्कुलर के खंड-8 को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा: -

> "III. अधिशेष कर्मचारियों का उपयोग/पुनर्नियोजन:
>
> 8. जब उपरोक्त पैरा 2 में संदर्भित अधिशेष पदों की पहचान के लिए अग्रिम योजना बनाई जाती है, तो अधिशेष हुए कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक नौकरियों में प्रशिक्षण प्रदान करने की उपयुक्त योजना, जहां भी आवश्यक हो, की भी योजना बनाई और विकसित की जानी चाहिए। अधिशेष कर्मचारियों के उपयोग और

(29/05/2025 को 01:03:20 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

पुनर्नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनके समावेशन को रिक्तियों को भरने के लिए आकस्मिक श्रमिक की स्क्रीनिंग और सीधी भर्ती सहित अन्य सभी भर्ती विधियों पर वरीयता मिलेगी ताकि अधिशेष कर्मचारियों को पहले उपयुक्त स्थानों पर उपयोग किया जा सके, जिसमें अतिरिक्त/नई परिसंपत्तियों के संचालन/रखरखाव के लिए अतिरिक्त पद बनाए गए स्थान भी शामिल हैं।"

8. निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को अधिशेष घोषित किया गया था और रेलवे द्वारा उन्हें गुड्स गार्ड के समकक्ष वेतनमान वाले पद पर समाविष्ट किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अवसर दिए जाने के बावजूद तीनों विकल्प नहीं भरे थे, बल्कि गुड्स गार्ड के रूप में समाविष्ट होने का विकल्प चुना था।

9. मास्टर सर्कुलर के खंड-8 पर दिया गया भरोसा याचिकाकर्ताओं के मामले को मजबूत नहीं करता है। खंड-8 के अनुसार, अधिशेष कर्मचारियों को भर्ती के अन्य तरीकों पर वरीयता मिलती है, लेकिन कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि अधिशेष कर्मचारियों को किसी विशेष पद पर समावेशन का अधिकार होगा।

10. विकल्प दिनांक 21.07.2020 के संचार द्वारा मांगे गए थे और भाषा स्पष्ट थी कि यह आवश्यक नहीं था कि अधिशेष कर्मचारियों को भरे गए विकल्पों के अनुसार समाविष्ट किया जाएगा।

11. अधिकरण ने सही ढंग से माना कि कर्मचारी को तीन विकल्प देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही, प्रतिवादियों को भी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी को किसी विशेष पद पर समाविष्ट किया जाए।

12. याचिकाकर्ताओं को किसी विशेष पद पर समाविष्ट होने का कोई निहित अधिकार नहीं है। प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को गुड्स गार्ड के पद पर नियुक्त न करने की कार्रवाई मनमानी नहीं है, यह देखते हुए कि किसी भी अधिशेष कर्मचारी को गुड्स गार्ड के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।

(29/05/2025 को 01:03:20 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

13. यह न्यायालय सामान्य तौर पर अधिशेष कर्मचारियों के किसी विशेष पद पर समावेशन के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

14. रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

15. सभी लंबित आवेदन निपटाए जाते हैं।

(उमा शंकर व्यास), जे (अवनीश झिंगन), जे

सिम्पल कुमावत /191-192S

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

Arish Bhalla Law Offices
Corporate office–
PlotNo. 73 (West Part), First Floor, Jem Vihar, Behind Sanganer Stadium, Sanganer-302029, Jaipur (Raj.)
ARISHBHALLA